अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा का न्यायालय

आर0ई0आर केश सं0– 89/16–17

राम सेवक सिंह बनाम् अमरेन्द्र सिंह वगै0

:–आदेश–:

प्रस्तुत वाद आवेदक राम सेवक सिंह, पे0–रामजी सिंह, सा0–मड़पा, थाना–बलबड्डा, जिला–गोड्डा द्वारा दाखिल आवेदन, जो मौजा–मड़पा, थाना नं0–405, जमाबंदी नं0–57 के दाग नं0–242/313, रकवा–00–00–19 धूर भूमि से विपक्षीगण (1)अमरेन्द्र सिंह, पे0–स्व0 सुरेन्द्र सिंह (2) राहुल सिंह, पे0–स्व0 विवेका सिंह (3) ओम प्रकाश सिंह, पे0–ब्रहमदेव सिंह, सभी सा0–मड़पा, थाना–बलबड्डा, जिला–गोड्डा को उच्छेद करते हुए दखल दिलाने का अनुरोध किया है। तद्नुसार अंचल अधिकारी, मेहरमा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई तथा उभय पक्षों को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। निर्गत नोटिस के अनुपालन में उभय पक्ष उपस्थित हुए तथा अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से कारण पृच्छा दाखिल किया।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं उनके द्वारा दाखिल कागजातों का अवलोकन किया।

अंचल अधिकारी, मेहरमा ने अपने पत्रांक–1128/रा0, दिनांक–29.08.2017 एवं पत्रांक–279/रा0 दिनांक–03.04.2021 द्वारा जाँचोपरांत प्रतिवेदित किया है कि मौजा–मड़पा, थाना नं0–405, जमाबंदी नं0–57, दाग नं0–342, रकवा–00–01–09 धूर भूमि किस्म मकानमय सहन, जमाबंदी रैयत शीतल महतो वो राम प्रसाद महतो, पेसारान रामजतन महतो वो किशुन महतो वल्द रामभवन महतो कौम–कुर्मी पर्चा में दर्ज है। उक्त जमीन के आंशिक भाग पर प्रथमपक्ष का मकान बना हुआ है एवं शेष भाग पर विपक्षीगण का कब्जा प्रतीत होता है। विषयांकित मामला सीमांकन से संबंधित है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, अंचल अधिकारी, मेहरमा के जाँच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकनोपरांत पाया कि प्रासंगिक भू–विवाद सीमांकन से संबंधित है। ऐसे मे इस प्रक्रिया के तहत अग्रेतर कार्रवई उचित प्रतीत नही होता है। अतः आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन को खारिज करते हुये वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा

Digitally signed by ALOK WARAN KESHRI
Date: 2025.01.03 17:17:55 +05:30
Location: 192.168.1.51